न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 31/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/52)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. चांद पत्नी धीरेन्द सिंह सेंगर जाति राजपूत निवासी 12 एफ बडा तहसील श्रीकरणपुर।		1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू.– 06.03.2024

उपस्थितः 1.श्री मनीष कुमार जांगिड अधिवक्ता वादी

बाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— दिनांक : 16.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया के राजस्व ग्राम 41 एफ ए पटवार हल्का 43 जीजी खरला भू.अ.नि.क्षेत्र खरला तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2079 के खाता संख्या 44/44 की कुल 4.598 हैक्टेयर भूमि वादिया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 5 की 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.088 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.075 हैक्टेयर भूमि सिंचाई विभाग में कमाण्ड दर्ज है। उक्त रकबा में सिंचाई सुविधा पर्याप्त है तथा उक्त भूमि का सिंचाई करके, उपयोग व उपभोग हो रहा है, लेकिन राजस्व अभिलेख में उक्त रकबा बारानी दर्ज है। उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में कमाण्ड दर्ज नहीं होने के कारण वादिया को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादिया मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर उक्त रकबा को बारानी से नहरी करवाने हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 एफ ए, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 5 की 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.088 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.075 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 265 दिनांक 03.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 41 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 5, 7/2 ता 14, 18 ता 23 की कुल 3.371 हैक्टेयर बारानी भूमि एंव मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1,2,9,10,11,20,21 की कुल 1.227 हैक्टेयर बारानी भूमि चांद पत्नी धीरेन्द्र सिंह सेंगर जाति राजपूत साकिन 12 एफ बडा मिर्जेवाला खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का 43 जीजी खरलां की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबा पर सिंचित फराले ली जा रही है। जिसमें नहर एंव नलकूप

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

द्वारा सिंचाई जारी है। जल संसाधन विभाग के पंत्राक 704 दिनांक 03.05.2017 के अनुसार चक 41 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 5 के 7 बिस्वा किला नम्बर 14 के 10 बिस्वा किला नम्बर 15 के 19 बिस्वा किला नम्बर 16 के 18 बिस्वा किला नम्बर 17 सालम किला नम्बर 18 के 10 बिस्वा किला नम्बर 22 के 9 बिस्वा किला नम्बर 23 के 18 बिस्वा किला नम्बर 24 के 18 बिस्वा किला नम्बर 25 के 18 बिस्वा कुल 7.7 बीघा कमाण्ड है एवं पंत्राक 1116 दिनांक 07.09.1994 के अनुसार चक 41 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम किला नम्बर 5 के 15 बिस्वा किला नम्बर 6 के 18 बिस्वा किला नम्बर 7 के 17 बिस्वा किला नम्बर 8 ता 12 सालम किला नम्बर 13 के 18 बिस्वा किला नम्बर 14 18 सालम कुल 14.08 बीघा कमाण्ड है। उपर्युक्तानुसार चक 41 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2079 के खाता संख्या 44 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 5 की 0.013 हैक्टेयर किला नम्बर 14 की 0.088 हैक्टेयर किला नम्बर 18 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.114 हैक्टेयर किला नम्बर 23 की 0.075 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.076 हैक्टेयर किला नम्बर 10 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर कुल 1.429 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी किया जाना उचित है। राजस्थान उपनिवेशन(गंगनहर भूमि स्थायी आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 के नियम 7(क) के अनुसार आवंटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि के संबध में मुरब्बा नम्बर 3 की 1.65X1225=2022 मूल एव 9948/- रुपए ब्याज कुल 2022+9948=11790 जमा करवाये जाने है। मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर की अन्तराशि पूर्व में जमा है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 41 एफ ए, पटवार हल्का 43 जीजी, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2079 के खाता संख्या 44/44 की छायाप्रति, अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के पंत्राक 704 दिनांक 03.05.2017 की छायाप्रति, अधीक्षण अभियंता सिंचाई वृत श्रीगंगानगर के पंत्राक 1116 दिनांक 07.09.1994 की छायाप्रति, सीसीए चक प्लान 41 एफ, 41 एफए की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम 41 एफ ए, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 5 की 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.088 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.075 हैक्टेयर भूमि को बारानी से नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का 43 जीजी खरलां की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबा पर सिंचित फसले ली जा रही है। जिसमें नहर एंव नलकूप द्वारा सिंचाई जारी है। जल संसाधन विभाग के पंत्राक 704 दिनांक 03.05.2017 के अनुसार चक 41 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 5 के 7 बिस्वा, किला नम्बर 14 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 15 के 19 बिस्वा, किला नम्बर 16 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 17 सालम, किला नम्बर 18 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 22 के 9 बिस्वा, किला नम्बर 23 के 18 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

किला नम्बर 24 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 25 के 18 बिस्वा कुल 7.7 बीघा कमाण्ड है, एवं पत्रांक 1116 दिनांक 07.09.1994 के अनुसार चक 41 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम, किला नम्बर 5 के 15 बिस्वा किला नम्बर 6 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 7 के 17 बिस्वा, किला नम्बर 8 ता 12 सालम, किला नम्बर 13 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 14, 18 सालम कुल 14.08 बीघा कमाण्ड है। उपर्युक्तानुसार चक 41 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2078 के खाता संख्या 44 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 5 की 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.088 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.075 हैक्टेयर एवं मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.253 हैक्टेयर किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर कुल 1.429 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 एफ ए, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2079 के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 5 की 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.088 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.075 हैक्टेयर एवं मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर कुल 1.429 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

चांद बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 31/2024

निर्णय दिनांक :- 16.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जांगिड, श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 एफ ए, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2079 के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 5 की 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.088 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.075 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर कुल 1.429 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। 11790/- रुपए की अन्तरराशि जमा करवाई जाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। आज दिनांक 16.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 16.05.2024

क्रमांक: रीडर/2024/196

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते